

सं. ए-12018/29/2017-एमई (पार्ट)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान दर्जी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान दर्जी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	प्रधान दर्जी	प्रधान दर्जी	
2.	पदों की सं.	1	1* (2017) * (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	रु. 60-5/2-75 (पहला के.वे.आ.) रु. 110-3-131-4-139 (दूसरा के.वे.आ.) रु. 260-8-300-ईवी-8-340-10-380-ईवी-10-430 (तीसरा के.वे.आ.) रु. 975-25-1150-ईवी-30-1540 (चौथा के.वे.आ.) रु. 3200-85-4900 (पांचवा के.वे.आ.) पीवी-1, रु. 5200-20200, ग्रे.वे.रु. 2000 (छठा के.वे.आ.)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-3 (रु. 21700)	सातवे के.वे.आ. की सिफारिशों और सीसीएस (आरपी) नियमावली के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	अचयन	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक

				31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	किसी प्रतिष्ठित संस्था या प्रसिद्ध टेलरिंग फर्म में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए वस्त्रों की कटाई तथा आकार देने में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण एवं अनुभव।	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% प्रोन्नति द्वारा	100% प्रोन्नति द्वारा	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	श्रेणी- IV संस्थापना में दर्जी	सातवें पे मैट्रिक्स के लेवल- 2 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले दर्जियों में से।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एबी-14017/13/2013 -

				एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन : 1. निदेशक (सीआईपी), रांची - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एवी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. सं. एवी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार